

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र जिला चिकित्सालय परि-



यूनिक कोड : 137480252/VS/404
 आधार कार्ड नं. : 401605595908
 प्रमाण पत्र क्रमांक : 6353
 दिनांक : 25/02/2020

प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमति/कुमारी लीरेन्द्र लेही कागद रजि. नं. ...
 पुत्र/पति/पुत्री श्री राजकुमार जन्मतिथि ... आयु 16 वर्ष
 पुरुष/महिला ... वार्ड/गाँव/गली नवलपुर डाक घर बपरा तहसील रहली
 जिला सागर राज्य मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी, जिसका फोटो ऊपर चरपा की गई है का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर लिया है और हम संतुष्ट है कि -

(क) उसका मामला निःशक्तता का है। उसका/उसकी स्थाई शारीरिक क्षति/निःशक्तता को निम्नलिखित निःशक्तताओं हेतु मार्गदर्शन सिद्धांतों (विनिर्दिष्ट किए जाएं के अनुसार मूल्यांकन किया गया है और नीचे दी गई सारणी में निःशक्तता के सामने दर्शाया गया)

अ.क्र.	निःशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निशक्तता प्रतिशत
1.	प्रमस्तिष्क घात, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, अम्ल आक्रमण प्रीडित और बहुदुष्पोषण सहित गतिविषयक दिव्यांगता		
2.	अंधता और निम्न दृष्टि	VA 6/60	40%
3.	बधिर, अभिवाक और भाषा दिव्यांगता	6/60	
4.	विशिष्ट सीख दिव्यांगता सहित बौद्धिक दिव्यांगता		
5.	मानसिक रुग्णता		
6.	चिरकालिक तंत्रिका दशाएं		
7.	हेमोफिलिया, थेलसिमिया, सिक्कल कोशिका रोग, और		
8.	बहु दिव्यांगता		

(ख) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उसका/उसकी समग्र स्थाई शारीरिक क्षति मार्गदर्शन सिद्धांतों (विनिर्दिष्ट किए जाएं के अनुसार निम्न प्रकार है) -

- अंकों में 44 प्रतिशत ... शब्दों में Partly प्रतिशत 40%
- यह स्थिति प्रगतिशील है/प्रगतिशील नहीं है। इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार न होने की संभावना है।
- निःशक्तता का पुननिर्धारण/(एक) आवश्यक नहीं है।
- यह प्रमाण पत्र (तारीख/मास/वर्ष) ... तक 2024 वैध रहेगा।
- आवेदक के निवास का सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी होने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के ब्यौरे
<u>...</u>		<u>...</u>

डॉ. ...
 नेत्र रोग विशेषज्ञ
 शा. इंद्रिरा नेत्र चिकित्सालय
 सागर रजि. नं. AC1884

सदस्य का नाम और
 डॉ. ...
 नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ
 जिला चिकित्सालय, सागर

सिविल सर्जन/अध्यक्ष
 सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक
 जिला चिकित्सालय
 का नाम और मुद्रा